अनुदान संख्या 31 - विदेश मंत्रालय
GRANT No. 31–MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged–*		*3,00*	*. .*	*–3,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*3,00*
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	3574,55,00	3874,55,00	3734,86,67	–139,68,33
पूरक	Supplementary	300,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				49,41,00
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	353,42,00	395,42,00	354,80,13	–40,61,87
पूरक	Supplementary	42,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				12,23,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, *3.00 लाख रु.* का *विनियोग* तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और इसे अंततः अभ्यर्पित कर दिया गया।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (13968.33 लाख रु.) दिसम्बर, 2005 और मार्च, 2006 में प्राप्त किए गए 30000.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 47 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 4 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of *Rs.3.00 lakhs* remained wholly unutilised under three heads and was eventually surrendered.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.13968.33 lakhs) constituted 47 percent of the supplementary grants of Rs.30000.00 lakhs obtained in December, 2005 and March, 2006 and 4 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2052" सचिवालय - सामान्य सेवाएं	Major Head "2052" Secretariat-General Services					
मू.	O.	12071.00				
पू.	S.	350.00		13503.95	13868.52	+364.57
पु.	R.	1082.95				
मुख्य शीर्ष "2601" विदेशी मामले	Major Head "2601" External Affairs					
मू.	O.	202104.00				
पू.	S.	8921.00		211342.64	202801.37	–8541.27
पु.	R.	317.64				
मुख्य शीर्ष "3605" अन्य देशों के साथ तकनीकी तथा आर्थिक सहायोग	Major Head "3605" Technical and Economic Cooperation with Other Countries					
मू.	O.	143279.00				
पू.	S.	20729.00		157667.41	156816.78	–850.63
पु.	R.	–6340.59				

(I) 9.00 लाख रु. का प्रावधान (एक शीर्ष के अंतर्गत 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs 9.00 lakhs (including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh under one head) remained wholly unutilised under three heads.

(II) मुख्य शीर्ष "2061" - "अन्य व्यय - विशेष शिष्टमंडल" के अंतर्गत 425.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 100.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 525.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 112.60 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा को भेजे जाने वाले गैर-सरकारी शिष्टमंडल का आकार कम कर दिए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2061" -"Other Expenditure – Special Delegations - the original provision of Rs.425.00 lakhs was augmented to Rs.525.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.100.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.112.60 lakhs (including supplementary grant) - due to reduction in size of the non-official delegation to General Assembly of United Nations.

(III) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(III) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2061'' -

(क) ''दूतावास तथा मिशन'' - 87242.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 2057.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 89299.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, मिशनों/चौकियों द्वारा प्रत्याशा से कम व्यय किए जाने के कारण 138.90 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ख) ''पारपत्र तथा उत्प्रवास'' -

(i) ''केंद्रीय पारपत्र तथा उत्प्रवास संगठन'' - 11755.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 1618.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ा कर 13373.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक से बिलों की प्राप्ति न होने के कारण 1520.16 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ii) ''केंद्रीय अधिनियमों और विनियमों के प्रशासन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अदायगियां'' - 2300.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 200.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 2500.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, पारपत्र आवेदन प्रपत्र के संबंध में उपलब्ध कराई गई सेवाओं पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अदा किए गए प्रभारों की दर कम कर दिए जाने के कारण 87.88 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ग) ''अन्य व्यय - हज पर व्यय'' - 260.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 292.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 552.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, हज सद्भाव शिष्टमंडल का आकार कम कर दिए जाने के कारण 128.79 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3605'' - ''अन्य देशों के साथ सहयोग'' -

(क) ''भूटान को सहायता'' - 81511.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 7600.00 लाख रु. का पूरक अनुदान

(A) Major Head "2061" –

(a) "Embassies and Missions" – the original provision of Rs.87242.00 lakhs was augmented to Rs.89299.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.2057.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.138.90 lakhs – due to less expenditure by Mission/Posts than anticipated.

(b) "Passport and Emigration" –

(i) "Central Passport and Emigration Organisation" - the original provision of Rs.11755.00 lakhs was augmented to Rs.13373.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.1618.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs. 1520.16 lakhs due to non-receipt of bills from Security Press, Nasik.

(ii) "Payments to States/Union Territories for Administration of Central Acts and Regulations" – the original provision of Rs.2300.00 lakhs was augmented to Rs.2500.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.200.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.87.88 lakhs – due to reduction in rate of charges paid by States/UTs on services rendered on passport application form.

(c) "Other Expenditure – Expenditure on Haj" – the original provision of Rs.260.00 lakhs was augmented to Rs.552.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.292.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.128.79 lakhs – due to reduction in size of Haj Goodwill Delegation.

(B) Major Head "3605" - "Co-operation with Other Countries"-

(a) "Aid to Bhutan" – the original provision of Rs.81511.00 lakhs was augmented to Rs.89111.00 lakhs by obtaining

प्राप्त करके बढ़ाकर 89111.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, ताला पनबिजली विद्युत परियोजना के लिए भूटान की राजसी सरकार द्वारा निधियों की कम आवश्यकता होने के कारण 2006.15 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ख) ''म्यांमार को सहायता'' - 1500.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 700.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 2200.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, भारत और म्यांमार के बीच द्विपक्षीय संबंधों को विकसित करने के लिए कम कार्यक्रमों के कारण 434.50 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ग) ''अन्य विकासशील देशों को सहायता'' - 28081.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 10998.21 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 39079.21 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, जार्जटाउन, गुयाना में क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण न किए जाने, कम्बोडिया (नोम-पेन्ह) में पारंपरिक एशियाई वस्त्रों के संग्रहालय का निर्माण और सायम रीप परियोजना पूरी न होने और साथ ही वियतनाम में ''उन्नत संसाधन केंद्र स्थापित किया जाना'' परियोजना को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण 103.72 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(घ) ''बहुपक्षीय आर्थिक संबंध कार्यक्रम'' - 190.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 1430.79 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1620.79 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका निधि को अदायगी स्थगित किए जाने के कारण 458.12 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(IV) मुख्य शीर्ष ''2061'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :-

(का) ''विशेष राजनयिक व्यय - विवेकाधीन व्यय'' - 7494.12 लाख रु. की बचत (84100.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यकलापों के यथाअभिकल्पित कार्यान्वित न होने, व्यय के आकस्मिक स्वरूप का होने और अन्य देशों की राजनीतिक स्थितियों का प्रभाव पड़ने के कारण हुई।

supplementary grant of Rs. 7600.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.2006.15 lakhs - due to less requirement of funds by Royal Government of Bhutan for Tala Hydroelectric Power Project.

(b) "Aid to Myanmar" – the original provision of Rs.1500.00 lakhs was augmented to Rs.2200.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.700.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.434.50 lakhs – due to less programmes for development of bilateral relations between India and Myanmar.

(c) "Aid to Other Developing Countries" - the original provision of Rs.28081.00 lakhs was augmented to Rs.39079.21 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.10998.21 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.103.72 lakhs - due to non-construction of cricket stadium at Georgetown, Guyana, non-completion of construction of Museum of Traditional Asian Textiles and Siem Reap Project in Cambodia (Phnom-Penh) and non-finalisation of project "Setting up of Advance Resource Centre" in Vietnam.

(d) "Multilateral Economic Relation Programme" – the original provision of Rs.190.00 lakhs was augmented to Rs.1620.79 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.1430.79 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.458.12 lakhs – due to postponement of payment towards India, Brazil, South Africa (IBSA) Fund.

(IV) Under Major Head "2061"-savings occurred under the following heads:-

(A) "Special Diplomatic Expenditure - Discretionary Expenditure"- saving of Rs.7494.12 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.84100.00 lakhs) was due to non implementation of the activities as envisaged, expenditure being of contingent nature and affected by political situation in other countries.

(खा) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - सार्क सचिवालय को अंशदान" - 140.64 लाख रु. की बचत (425.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशासनिक कारणों की वजह से बिलों की अदायगी न किए जाने के कारण हुई।

(ग) "अन्य व्यय - विशेष कार्यक्रम" - 172.09 लाख रु. की बचत (293.35 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संगोष्ठियां, अध्ययन और द्विपक्षीय परामर्शदाता समूह आयोजित किए जाने पर कम व्यय होने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "3605" - "अन्य देशों के साथ सहयोग" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :-

(क) "बंगलादेश को सहायता" - 1908.68 लाख रु. की बचत (5100.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बंगलादेश को बाढ़ राहत सहायता के लिए प्रेषण और वितरण की पद्धतियों को अंतिम रूप देने में विलंब होने के कारण हुई।

(खा) "नेपाल को सहायता" - 1062.57 लाख रु. की बचत (7000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) गृह मंत्रालय द्वारा निधियों का उपयोग न होने के कारण हुई।

(ग) "अफ्रीकी देशों को सहायता" - 5654.81 लाख रु. की बचत (10454.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कीनियाई सरकार को पीली मक्का की आपूर्ति न किए जाने, टीसीआईएल से बिलों के देर से प्राप्त होने और साथ ही घाना में सूचना प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र के लिए निर्धारित निधियों का उपयोग न होने के कारण हुई।

(घ) "मध्य एशिया को सहायता" - 326.14 लाख रु. की बचत (900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ताजिकिस्तान सरकार को उपहारस्वरूप बस प्रदान किए जाने और सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र खोले जाने के कार्यक्रमों के मूर्तरूप न ले पाने के कारण हुई।

(VI) एक शीर्ष के अंतर्गत 62.11 लाख रु. की बचत हुई, जो स्वीकृत प्रावधान का 18 प्रतिशत थी।

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (5842.79 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं

(B) "International Cooperation – Contributions to SAARC Secretariat" - saving of Rs.140.64 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.425.00 lakhs) was due to non-payment of bills owing to administrative reasons.

(C) "Other Expenditure – Special Programmes" - saving of Rs.172.09 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.293.35 lakhs) was due to less expenditure on holding seminars, studies and bilateral consultative groups.

(V) Under Major Head "3605"- "Cooperation with Other Countries" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Aid to Bangladesh" - saving of Rs.1908.68 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5100.00 lakhs) was due to delay in finalising dispatch and distribution modalities for flood relief assistance to Bangladesh.

(B) "Aid to Nepal" - saving of Rs.1062.57 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7000.00 lakhs) was due to non-utilisation of funds by the Ministry of Home Affairs.

(C) "Aid to African Countries"- saving of Rs.5654.81 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.10454.00 lakhs) was due to non-supply of yellow maize to Kenyan Government, late receipt of bills from TCIL and also due to non-utilisation of funds earmarked for Centre of Excellence for Information Technology in Ghana.

(D) "Aid to Central Asia" – saving of Rs.326.14 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.900.00 lakhs) was due to non-materialisation of programmes-gifting of bus to Government of Tajikistan and opening of IT centre.

(VI) Under one head saving of Rs.62.11 lakhs occurred constituting 18 percent of the sanctioned provision.

3.(I) The above savings were partly (Rs.5842.79 lakhs) utilised for augmenting the provision by

जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अनुदानों की पूरक मांगों के अनुबंध-II द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2061'' - ''अंतर्राष्ट्रीय सहयोग'' -

(क) ''अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन'' - 1176.75 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 146.29 लाख रु. था।

(ख) ''संयुक्त राष्ट्र संघटन'' - 1421.04 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1511.71 लाख रु. था।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3605'' - ''अन्य देशों के साथ सहयोग''-

(क) ''मालदीव को सहायता'' - 1200.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1187.87 लाख रु. था।

(ख) ''आपदा राहत के लिए सहायता'' - 2045.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 2046.67 लाख रु. था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2052'' - ''सचिवालय - विदेश मंत्रालय'' - 1455.26 लाख रु. का अधिक व्यय (350.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 12384.30 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उभरती विश्वव्यापी स्थिति के परिणामस्वरूप विदेशी दौरों पर अधिक व्यय होने और अकबर भवन के संबंध में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद को संशोधित किराए की अदायगी किए जाने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3605'' - ''अन्य देशों के साथ सहयोग''-

(क) ''श्रीलंका - अन्य सहायता कार्यक्रम'' - 373.44 लाख रु. का अधिक व्यय (2500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लंबित बिलों को मंजूरी प्रदान किए जाने और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अदायगियां किए जाने के कारण हुआ।

re-appropriation as already reported to Parliament vide Annexure-II to Supplementary Demands for Grants under the following major heads:-

(A) Major Head “2061” - “International Co-operation”-

(a) “Other International Organisations” Rs.1176.75 lakhs. Actual excess, however, was Rs.146.29 lakhs.

(b) “United Nations Organisations” - Rs.1421.04 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1511.71 lakhs.

(B) Major Head “3605” - “Co-operation with Other Countries” -

(a) “Aid to Maldives” - Rs.1200.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1187.87 lakhs.

(b) “Aid for Disaster Relief” - Rs.2045.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.2046.67 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head “2052” – “Secretariat – Ministry of External Affairs” – excess of Rs.1455.26 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.12384.30 lakhs including supplementary grant of Rs.350.00 lakhs) was due to more expenditure on overseas visits arising out of emerging global situation and payment of revised rent to New Delhi Municipal Council in respect of Akbar Bhawan.

(B) Major Head “3605 – “Co-operation with Other Countries” -

(a) “Sri Lanka – Other Aid Programmes” - excess of Rs.373.44 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2500.00 lakhs) was due to clearance of pending bills and payments made towards training programmes.

(ख) ''सार्क कार्यक्रम'' - 168.71 लाख रु. का अधिक व्यय (125.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रत्याशा से अधिक व्यय होने के कारण हुआ।

(ग) ''आईटीईसी कार्यक्रम'' - 821.85 लाख रु. का अधिक व्यय (4500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(घ) ''एससीएएपी कार्यक्रम'' - 194.85 लाख रु. का अधिक व्यय (550.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय मिशनों/चौकियों और रक्षा मंत्रालय से व्यय के ब्योरे देर से प्राप्त होने के कारण हुआ।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (4061.87 लाख रु.) दिसम्बर, 2005 में प्राप्त किए गए 4200.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 97 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 10 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(b) "SAARC Programme" – excess of Rs.168.71 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.125.00 lakhs) was due to more expenditure than anticipated.

(c) "ITEC Programme"- excess of Rs.821.85 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 4500.00 lakhs); and

(d) "SCAAP Programme"- excess of Rs.194.85 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.550.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to late receipt of details of expenditure from missions/posts and Ministry of Defence.

4. In the capital section of the grant, the overall savings (Rs.4061.87 lakhs) constituted 97 percent of the supplementary grant of Rs.4200.00 lakhs obtained in December, 2005 and 10 percent of the total sanctioned provision.

Savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''4059'' लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	5141.00			
पू.	S.	3590.00	8535.00	7577.94	–957.06
पु.	R.	–196.00			
मुख्य शीर्ष ''4216'' आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	1500.00			
पू.	S.	610.00	1864.00	1527.50	–336.50
पु.	R.	–246.00			

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''7605'' विदेशी सरकारों को अग्रिम	Major Head "7605" Advances to Foreign Governments					
मू.	O.	28701.00		27920.00	26374.69	–1545.31
पु.	R.	–781.00				

(I) 1.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष ''7605'' - ''विदेशी सरकारों को अग्रिम'' के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.1.00 lakh remained wholly unutilised in one case under Major Head-"7605"- "Advances to Foreign Governments".

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दशाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(II) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(का) मुख्य शीर्ष ''4059'' - ''अन्य भवन - निर्माण - विदेश मंत्रालय'' के अंतर्गत 5141.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 3590.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 8731.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, इस्लामाबाद, कराची, काठमांडू में भवनों की मरम्मत और उनके रख-रखाव और नई दिल्ली में एशियाई अफ्रीकी विधिक परामर्शदाता संगठन के मुख्यालय भवन और विदेश सेवा संस्थान के निर्माण पर निधियों का उपयोग न होने के कारण 1153.06 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(A) Major Head "4059"- "Other Buildings - Construction - External Affairs"- the original provision of Rs.5141.00 lakhs was augmented to Rs.8731.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.3590.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.1153.06 lakhs - due to non-utilisation of funds on repair and maintenance of buildings in Islamabad, Karachi, Kathmandu and construction of Headquarter building of Asian African Legal Consultative Organisation and Foreign Service Institute in New Delhi.

(खा) मुख्य शीर्ष ''4216'' - ''सरकारी रिहायशी भवन - अन्य भवन - विदेश मंत्रालय'' - 1500.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 610.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 2110.00 लाख रु. कर दिया गया जो, यद्यपि इस्लामाबाद में आवास एवं चारदीवारी के निर्माण और इस्लामाबाद, कराची, स्टाकहोम, बर्न और हेग में आवासों की मरम्मत और रख-रखाव पर निधियों का उपयोग न होने के कारण 582.50 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(B) Major Head "4216"- "Government Residential Buildings - Other Housing - External Affairs" - the original provision of Rs.1500.00 lakhs was augmented to Rs.2110.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.610.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.582.50 lakhs - due to non-utilisation of funds on construction of residences and boundary wall in Islamabad and repairs and maintenance of houses in Islamabad, Karachi, Stockholm, Berne and The Hague.

(III) मुख्य शीर्ष ''7605'' - ''भूटान की सरकार को कर्ज'' के अंतर्गत 2286.12 लाख रु. की बचत (28600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ताला पनबिजली विद्युत परियोजना के भूटान की राजसी सरकार द्वारा निधियों की आवश्यकता में संशोधन कर दिए जाने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "7605- "Loans to Government of Bhutan"- saving of Rs.2286.12 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.28600.00 lakhs) was due to revision of funds requirement by the Royal Government of Bhutan for Tala Hydroelectric Power Project.